इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2011

क्र. 1419-136-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक १ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा १३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा १३ की उपधारा (२) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु यदि मण्डी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मण्डी समिति की अवधि में, ऐसा अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छह मास की कालावधि के लिये दो बार अर्थात् अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिये वृद्धि कर सकेगी और यदि इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नई मण्डी समिति का गठन नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और ऐसी दशा में धारा ५७ के उपबंध लागू होंगे.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, २०११ (क्रमांक १ सन् २०११) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. 1420-136-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 12 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 12 OF 2011

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 1st April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st April, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty second Year of the Republic

of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 13.

2. In sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that if on the expiry of the term of market committee, a new market committee is not constituted, the State Government may, by notification, extend the term of the market committee for a period of six months twice, that is for a maximum period of one year from the date of expiry, with reasons for such extension being placed on record, and if the new market committee is not constituted within this extended term, it shall be deemed to have been dissolved and in such an event the provisions of Section 57 shall apply.".

Repeal and Saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2011 (No. 1 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.